न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः–राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 19/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. फतहसिंह आत्मज बख्तावरसिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी कलालखेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. दरियाव कंवर पत्नि बालुसिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी कलालखेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. अमरसिंह आत्मज बख्तावरसिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी कलालखेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. लादुनाथ आत्मज केशुनाथ जोगी आयु वयस्क निवासी कलालखेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. गोपीनाथ आत्मज खेमनाथ जोगी आयु वयस्क निवासी कलालखेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. रूपनाथ आत्मज नाथुनाथ जोगी आयु वयस्क निवासी कलालखेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. लक्ष्मण आत्मज तुलसा गुजर आयु वयस्क निवासी कलालखेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7. बरदु आत्मज हमीर गुजर आयु वयस्क निवासी कलालखेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8. दीपनाथ आत्मज खेमनाथ जोगी आयु वयस्क निवासी कलालखेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9. हीरानाथ आत्मज खेमनाथ जोगी आयु वयस्क निवासी कलालखेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10. सुरेशनाथ आत्मज खेमनाथ जोगी आयु वयस्क निवासी कलालखेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11. बाबुनाथ आत्मज खेमनाथ जोगी आयु वयस्क निवासी कलालखेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12. बदामी देवी बेवा खेमनाथ जोगी आयु वयस्क निवासी कलालखेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
13. सुखा आत्मज कैला गुजर आयु वयस्क निवासी कलालखेडी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरीश टेलर –

अधिवक्ता प्रार्थी

दिनांक 16.05.2018

निर्णय

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बोराणा मे हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम कलालखेडी पटवार हल्का बोराणा तहसील के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख रकबा 0.40 है0, 731 रकबा 0.30 है0, 732 रकबा 0.30 है0, 735 रकबा 0.09 है0, 736. रकबा

रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे मुख प्रा

कुल किता 5 कुल रकबा 1.16 है0 भुमि राजस्व खाता संख्या 187 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रैस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास काटने मवेशी वगैरा चराने मे दरम्यान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थी को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाने हेतु कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 05.04.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इंकार हो गए, जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 05.04.2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 13 प्रार्थी की उक्त आराजियात के पडोसी होने से उन्हें पक्षकार विपक्षीगण बनाये गयें हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 11.04.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम कलालखेडी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 730 रकबा 0.40 है0, 731 रकबा 0.30 है0, 732 रकबा 0.30 है0, 735 रकबा 0.09 है0, 736 रकबा 0.07 है कुल किता 5 कुल रकबा 1.16 है0 भुमि राजस्व खाता संख्या 187 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/– अक्षरे दौ सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 700/– अक्षरे सात सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा